राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या–651/2010/जयपुर
2.अपील संख्या–652/2010/जयपुर
3.अपील संख्या–653/2010/जयपुर
4.अपील संख्या–654/2010/जयपुर

मैसर्स राजस्थान राज्य रोड डेवलपमेन्ट एण्ड कन्ट्रक्शन
कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर ..अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन,जोन–प्रथम,जयपुर प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक(अपील संख्या 652 से 654/10)
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक(अपील संख्या 651/10) प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक :28.06.2017

निर्णय

उपर्युक्त चारों अपीलों में अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 26/आरवैट/जे./2009–10, अपील संख्या 249/आरएसटी/ए/2004–05, अपील संख्या 138/आरवैट/ए/2007–08 एवं अपील संख्या 107/ आरवैट/ जे/ 2008–09 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 84 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 100 के अन्तर्गत पारित संयुक्त आदेश दिनांक 14.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, ।

उक्त चारों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित होने तथा व्यवहारी एक ही होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति चारों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1998–99, 2001–02, 2004–05 एवं 2005–06 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 23,03,2009, 02. 07.2004, 24.09.2007 एवं 26.09.2008 को पारित करते हुए मांग सृजित की गई थी, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण आरोपित अन्तर कर, ब्याज एवं शास्तियों के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः कर

निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये थे,जिनके विरूद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

प्रत्यर्थी विभाग के ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2009 के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु उक्त चारों प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिनकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश 28.07.2011 एवं 03.08.2011 को पारित कर दिये गये हैं (आदेश कर निर्धारण आदेशों की प्रतियॉ कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में संलग्न है), इसलिए जिन आदेशों के विरूद्ध उपरोक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है, वह अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से अस्वीकार योग्य हैं।

अपीलार्थी की ओर से व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 14.1.2.2009 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये थे। बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश 28.07.2011 एवं 03.08.2011 को पारित कर दिये हैं।।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 14.12.2009 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेशों के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59,** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत चारों अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष